न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
प्रशासन गांवो के संग अभियान/कोर्ट कैम्प शिविर – खोखरा
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

<u>राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या</u> :– 67/2021

प्रार्थीगणः–

1. मोहनी देवी पत्नी स्व. खेताराम
2. पारसमल पुत्र स्व. खेताराम
3. भुण्डाराम पुत्र खेताराम के कायम मुकामात

3/1 सुशीला पत्नी भुण्डाराम
3/2 सुखदेव पुत्र भुण्डाराम
3/4 किरण पुत्री भुण्डाराम जातियान घांची निवासी आदेश्वर जैन मंदिर, सोजत
3/5 पिंकी पुत्री भुण्डाराम
3/6 राहुल पुत्र भुण्डाराम उम्र 14 वर्ष नाबालिक जरिये कुदरती वलिया माता सुशिला पत्नी भुण्डाराम जातियान घांची निवासीगण आदेश्वर जैन मंदिर के पास, सोजतसिटी तहसील सोजत जिला पाली (राज0)

बनाम

अप्रार्थीः–

1. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि–धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला–पाली।

<u>राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

<u>उपस्थितिः–</u>

1. श्री देवेन्द्र व्यास एवं कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

–: <u>निर्णय</u> :– **दिनांक –05.10.2021**

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने एक विविध प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 1 के पति, प्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता तथा प्रार्थी संख्या 3/1 के ससुर तथा प्रार्थी संख्या 3/2 लगायत 3/6 के दादा स्वर्गीय खेताराम पुत्र छैलाराम एवं अन्य सह खातेदारान की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा नम्बर 1118 रकबा 0.4300 हैक्टर एवं खसरा संख्या 1081 रकबा 0.4200 हैक्टर कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.8500 हैक्टर की आई हुई है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2070–2073 प्रार्थीगण के पिता/पति/ससुर/दादा का नाम राजस्व कर्मचारियों की लिपिकीय त्रुटिवश खेताराम के स्थान पर खरता पुत्र छैला दर्ज हो गया है, जो गलत दर्ज हुआ है। जबकि प्रार्थीगण के पिता/पति/ससुर/दादा का सही नाम व दस्तावेजी नाम खेताराम पुत्र छैलाराम है। प्रार्थीगण के पिता/पति/ससुर/दादा का स्वर्गवास दिनांक 04.05.2015 हो चुका है। राजस्व रेकर्ड में सहवन से खरता दर्ज हो जाने से प्रार्थीगण के पिता/पति/ससुर/दादा के

स्वर्गवास के बाद फौतेदगी म्यूटेशन भरवाने में कठिनाई आती है। इसलिए शुद्धि करने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया। प्रार्थीगण के पिता/पति/ससुर/दादा के समस्त सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान पत्र इत्यादि खेताराम पुत्र छैलाराम जी के नाम से बने हुए है जो सही है तथा मृत्यु प्रमाण पत्र में भी प्रार्थीगण के पिता/पति का नाम खेताराम पुत्र छैलाराम अंकित है। इसी प्रकार स्वर्गीय खेतारात पुत्र छैलाराम जी की सोजत चक प्रथम के खसरा संख्या 4207 से 4211 व 4213 से 4215, 4220, 4222, 1085, 1089, 1090 आई हुई स्थित है। जिसमें भी प्रार्थीगण के पिता/पति/ससुर/दादा का नाम स्वर्गीय खेताराम पुत्र छैलाराम दर्ज है। जिससे यह स्पष्ट है कि वादस्थ भूमि में लिपिकीय त्रुटिवश खेताराम पुत्र छैलाराम के स्थान पर खरता पुत्र छैला गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थीगण ने अपने पिता/पति/ससुर/दादा के फौतेदगी म्यूटेशन भरवाने हेतु जमाबंदी नकल दिनांक 16.01.2018 को प्राप्त करने पर जानकारी में आया कि लिपिकीय त्रुटिवश सहवन से प्रार्थीगण के पिता/पति/ससुर/दादा का नाम खेताराम के स्थान पर खरता दर्ज हो गया है। जो गलत दर्ज हुआ है। जिसे शुद्धि किया जाना कानूनन एवं न्याय संगत है। प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड के किसी अन्य सह खातेदारान पर किसी प्रकार का कोई विपरित प्रभाव नही पड़ेगा और न ही किसी के खातेदारी अधिकार पर प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट 1656 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात प्रस्तुत कर सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा नम्बर 1118 रकबा 0.4300 हैक्टर एवं खसरा संख्या 1081 रकबा 0.4200 हैक्टर कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.8500 हैक्टर के राजस्व रेकर्ड में जो लिपिकीय त्रुटिवश सहवन से प्रार्थीगण के पिता/पति/ससुर/दादा का नाम खेताराम के स्थान पर खरता गलत दर्ज हो गया है, उसे शुद्धि किया जाकर खेताराम पुत्र छैलाराम रेकर्ड दुरूस्ती किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा नम्बर 1118 रकबा 0.4300 हैक्टर एवं खसरा संख्या 1081 रकबा 0.4200 हैक्टर कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.8500 हैक्टर के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर उपस्थित जबाब पेश करना नहीं चाहने से जबाब प्रा0 पत्र बन्द किया गया। तहसीलदार/लैण्ड होल्डर/सोजत को उक्त दुरूस्ती किये जाने पर कोई आपति नही होना बहस के दौरान व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात तथा साक्ष्य सबूतों के दस्तावेजात तथा उक्त विवादित भूमि से सम्बद्ध प्रा0 पत्र में वर्णित उक्त तथ्यों की ताईद में प्रस्तुत प्रार्थीगण संख्या 02 पारसमल के तस्दीक सुदा शपथ पत्र पंजीबद्ध दस्तावेज पुस्तक संख्या 1 क्र0स0 233 से 236 पृ0स0

8836 से 8443 दिनांक 27.12.2002, मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 13.05.2015 खेताराम पुत्र छैलाराम, दिनांक 19.09.2017 मोहनी देवी आधार कार्ड सं0 525346187504 निर्वाच फोटो पहचान पत्र संख्या आरजे 21/161/204260 दिनांक 31.03.1995 का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस उभय पक्षों पर गौर कर मनन किया गया। अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा अपने प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य सबूत यथा पंजीबद्ध दस्तावेजात ख0न0 4207 रकबा 0.3000 है0 किस्म गै0मु0 बेरा में प्रार्थी का नाम बतौर बेचानकर्ता खेताराम पुत्र छैलाराम दर्ज है। अन्य दस्तावेज में भी प्रार्थी का नाम खेताराम दर्ज है। सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में स्थित कृषि भूमि ख0न0 4207 से 4211 व 4213 से 4215, 4220, 4222, 1085, 1089, 1090 में भी प्रार्थी का नाम खेताराम बतौर खातेदार दर्ज है। जिससे प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम खेताराम होने की संपुष्टि होती है। वस्तुतः प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्त विवादित सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा नम्बर 1118 रकबा 0.4300 हैक्टर एवं खसरा संख्या 1081 रकबा 0.4200 हैक्टर कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.8500 हैक्टर में सदभाविक त्रुटिवश सहवन खरता पुत्र छैला गलत दर्ज कर दिया गया उसे खेताराम पुत्र छैलाराम वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्त दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाना उचित समझते है।

—:आदेशः—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सोजत चक प्रथम के खसरा नम्बर 1118 रकबा 0.4300 हैक्टर एवं खसरा संख्या 1081 रकबा 0.4200 हैक्टर कुल खसरा 2 कुल रकबा 0.8500 हैक्टर किस्म चा0प्रथम, जा0प्रथम, बंजड़ के लिपिकीय त्रुटिवश सहवन से प्रार्थीगण के पिता/पति/ससुर/दादा का नाम खेताराम के स्थान पर खरता दर्ज हो गया है। अतः उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड वर्तमान में गलत प्रविष्टि खरता पुत्र छैला के स्थान पर वास्तविक के एवं सही नाम खेताराम पुत्र छैलाराम दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को निर्णय की छायाप्रति तहरीर के साथ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
शिविर – खोखरा

यह निर्णय आज दिनांक 06.10.2021 को सरे ईजलास प्रशासन गांवो के संग अभियान/कोर्ट कैम्प, अटल सेवा केन्द्र खोखरा में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
शिविर – खोखरा